संख्या-651/2018/1329/22-2-2018-17(88)/2016

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर, 2018***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री धर्मपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 17-07-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी प्रदीप पुत्र श्री धर्मपाल, निवासी-नसीरपुर, थाना-तिताबी, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने लूट की नियत से दिनांक 11-06-1997 को सायंकाल 10:30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिल कर देशी रिवाल्वर से गोली मारकर नीटू नामक लड़के की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1613/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 394 के अन्तर्गत मा0 द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 31.01.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 20 वर्ष, 11 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक (खराब) है तथा जेलदण्ड-6 हैं। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने लूट की नियत से दिनांक 11-06-1997 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिल कर रिवाल्वर से गोली मारकर नीटू नामक लड़के की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 38 वर्ष 08 माह लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री धर्मपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रदीप (बन्दी संख्या-43814) पुत्र श्री धर्मपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-651/2018/1329(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश सख्या-651/2018/1329/22-2-2018-17(88)/2016</u>

दिनांक 25 सितम्बर, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी प्रदीप (बन्दी संख्या-43814) पुत्र श्री धर्मपाल, निवासी-नसीरपुर, थाना-तिताबी, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने लूट की नियत से दिनांक 11-06-1997 को सायंकाल 10:30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिल कर देशी रिवाल्वर से गोली मारकर नीटू नामक लड़के की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1613/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 394 के अन्तर्गत मा0 द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 31.01.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 20 वर्ष, 11 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक (खराब) है तथा जेलदण्ड-6 हैं। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने लूट की नियत से दिनांक 11-06-1997 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिल कर रिवाल्वर से गोली मारकर नीटू नामक लड़के की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 38 वर्ष, 08 माह लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री धर्मपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in